न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 132/2014

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.. प्रार्थी

बनाम

1. रामस्वरूप
2. सुरज्ञान
3. दयाराम

   समस्त जाति गुंर्जर निवासी गाडण्डी तहसील बसवा जिला दौसा
4. पेमा पुत्र भवगान सैनी निवासी अरनिया तहसील बसवा

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956।

उपस्थित : 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री ऋद्धि चंद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 4

निर्णय

दिनांक: 30.05.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रा0पत्र इस प्रकार है कि तहसीलदार बसवा ने अप्रार्थीगण को राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 917 रकबा 0.03है. पर अवैध बजरी खनन का दोषी पाये जाने पर तथा धारा 89 भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लंघन होने पर कार्यवाही जिला कलक्टर के स्तर से अपेक्षित होने से यह प्रकरण प्रेषित किया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि पटवारी हल्का गादरवाडा गुजरान ने एक रिपोर्ट अधीनस्थ तहसीलदार बसवा के यहां पेश की कि संवत 2068 में अप्रार्थीगण द्वारा राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 917 रकबा 0.03है. पर अवैध बजरी खनन किया जा रहा है। जिस पर तहसीलदार बसवा ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अप्रार्थीगण को आराजी से बेदखल करने एवं लगान के 50 गुणा आरोपित शास्ति से दंडित कर दिया। साथ ही प्रकरण में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के साथ ही धारा 89 का उल्लंघन होने से व रकबा 0.03है. पर अवैध बजरी खनन होने व 3805.5 टन बजरी के खनन का प्रमाणित होता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावे।
4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 4 ने बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी का राजकीय चरागाह भूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। अप्रार्थी के द्वारा राजकीय चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटा लिया गया है। अतः धारा 89 की कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।
5. शेष अप्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्तागण को बार-बार आवाज दिलवाने पर भी उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
6. हमने राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 4 की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:37:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

89 Right of minerals, mines, quarries and fisheries The right to all minerals, mines and quarries and to all fisheries, navigation and irrigation in and from, a river shall vest in the State Government and the State Government shall, have all powers necessary for the enjoyment of such a right.

(2) The right to all mines and quarries includes the right of access to land for the purpose of mining and quarrying and the right to occupy such other land as may be necessary for purposes subsidiary thereto, including the erection of offices, workmen's dwellings and machinery. The staking of minerals and deposit of refuse, the construction of roads, railways or tram lines, and any other purposes which the State Government may declare to be subsidiary to mining and quarrying.

(3) If the State Government has assigned to any person its right over any minerals, mines or quarries, and if for the proper enjoyment of such right, it is necessary that all or any of the powers specified in sub sections (1) and (2) should be exercised by such person, the Collector may, by an order in writing, subject to such conditions andreservations as he may prescribe; delegate such powers to the person to whom the right has been assigned:

Provided that no such delegation shall be made until notice has been duly served on all persons having rights in the land effected and their objection have been heard and considered.

(4) If, in the exercise of the right herein referred over any land, the rights of any persons are infringed by the occupation or disturbance of the surface of such land, the Stage Government or its assignee shall pay to such persons compensation for such infringement and the amount of such compensation shall be calculated by the Collector, of, if this award is not accepted, by the civil court, as nearly as may be in accordance with the provisions of the Rajasthan Land Acquisition Act, 1953 (Rajasthan Act XXIV of 1953).

(5) No assignee of the State Government shall enter on or occupy the surface of any land without the previous sanction of the Collector, unless the compensation has been determined and tendered to the person whose rights are infringed.

(6) If any assignee of the State Government fails to pay compensation as provided in sub section (4), the Collector may recover such compensation from him on behalf of the person entitled to it, as if it were an arrear of land revenue.

(7) Any person who without lawful authority extracts or removes minerals from any mine or quarry, the right to which vests in and has not been assigned by the State Government, shall without prejudice to any other section that may be taken against his liable, on the order in writing of the Collector to pay a penalty not exceeding a sum calculated at the rate of fifty rupees per ton, or a fraction thereof, of the minerals so extracted or removed:

Provided that if the sum so calculated is ... one thousand rupees, t he penalty may be such lar... rupes as the Collector may impose.

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:37:02 IST
Reason: SelfAttested

7. पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि पटवारी हल्का गादरवाडा गूजरान ने संवत 2068 में अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 91 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 917 रकबा 0.03है. भूमि पर अवैध बजरी खनन किये जाने बाबत अवगत कराया गया था। तहसीलदार बसवा ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम

Dw
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1956 की धारा 91 के तहत बेदखली एवं लगान का 50 गुना आरोपित शास्ति से दंडित किया गया साथ ही धारा 89 का भी उल्लंघन होने से प्रकरण इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है। रेस्पों. सं0 1 से 4 ने राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 917 रकबा 0.03है. भूमि पर से 3805.5 टन बजरी का अवैध खान किया गया है। पत्रावली में संलग्न रेस्पों. रामकिशन उर्फ जोशी जाति माली, रामस्वरूप, सुरज्ञान पि. धन्ना गुर्जर द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में राजकीय चरगााह भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने एवं भविष्य में भी अतिक्रमण नहीं करने बाबत अंकित किया है। इसके अतिरिक्त रेस्पों. पेमाराम पुत्र भगवानसहाय माली ने शपथपत्र में अंकित किया है कि उसने राजकी चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है। हम तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 917 पर किये गये अवैध खनन 3805.5 टन बजरी की रॉयल्टी 50 रू0 प्रति टन की दर से देय आरोपित शास्ति राशि कुल 1,90,275/—रू0 आरोपित की जाती है। शास्ति राशि की कायमी हेतु तहसीलदार बसवा को निर्देश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 मई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:37:02 IST
Reason: SelfAttested